

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा
(अध्यापक) सेवा
नियमावली, 1981 में
ज्येष्ठता के सम्बन्ध में
नियम

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का नियम 22

22. ज्येष्ठता.—(1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी :

परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 17 या 17(क) या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।

टिप्पणी—(1) सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विधिमान्य है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थायी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

समीक्षा

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह अभिनिर्णीत किया है कि जू.बे. स्कूल के सभी अध्यापक जो 1968 से पूर्व नियुक्त हुए थे किन्तु प्रशिक्षण तत्पश्चात् प्राप्त किया, अपनी नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठ मान्य किये जायेंगे।

All those teachers of Junior Basic Schools who were appointed prior to 1968 but received their training latter on are to be treated as senior in order of their appointment.

वरिष्ठता निर्धारण हेतु उनकी विहित तिथि नियुक्ति तिथि है प्रशिक्षण नहीं:

Seniority is to be reckoned with from the date of the initial appointment and not from the date of this training.²

उक्त आदेश के विरुद्ध उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय का आश्रय लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण अहता प्राप्त करने के दिनांक से ज्येष्ठता निर्धारित होगी। अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्ति के दिनांक से नहीं।

1. Jagdish Narain Shastri v. B.S.A. Etawali and others, 1986 Education Cases 293 (DB); 1986 UPLBEC 1058.
2. Hardeo Muni Tripathi v. U.P. Basic Shiksha Parishad Allahabad, 1991 UPLBEC 394; 1991 (1) AWC 509; 1991 (17) AIR 369.

ज्येष्ठता निर्धारण के
सम्बन्ध में सहायक
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
फैजाबाद मण्डल का
स्पष्टीकरण

संक्षिप्त इतिहास

श्री सदाशिव पाण्डेय पुत्र श्री राम नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम पुरे पाण्डेय, पश्चिम कला, सुलतानपुर की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर के आदेश संख्या 1521-54/नियुक्ति/1981-82 दिनांक : 25.11.81 द्वारा प्राथमिक विद्यालय हुसेनगंज कला, विकास क्षेत्र इतिहापुर (वर्तमान में विकास खण्ड जगदीशपुर) में स.अ. पद पर हुई थी। नियुक्ति के पश्चात श्री पाण्डेय द्वारा 5.12.81 को कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री पाण्डेय सम्प्रति प्रा.वि. पाण्डेयपुर विकास खण्ड बल्दीराम में स.अ. पद पर सेनात है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जारी बरिष्ठता सूची में श्री पाण्डेय को क्रमांक 380 पर रखा गया है। यह बरिष्ठता सूची कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर तैयार की गई है। श्री पाण्डेय द्वारा नियुक्ति आदेश विगत होने की तिथि 25.11.81 से बरिष्ठता निर्धारण की मांग की जा रही है। इस हेतु उनके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर को प्रत्यावेदन भी दिया गया। कोई कार्यवाही न होने पर श्री पाण्डेय द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में याचिका संख्या 7403 (सहाय्य)/2004 दायित्व की गई। मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.12.2004 द्वारा विपक्षी संख्या 3 सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद मण्डल को मा० उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रमाणित प्रती प्राप्त होने के दो माह के अन्दर प्रकरण को निस्तारित करने का आदेश दिया। श्री पाण्डेय द्वारा इस संबंध में दिनांक 21.12.2004 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के फांंक : बेसिक/4229-30/2004-05 दिनांक 22.12.2004 द्वारा माची श्री सदाशिव पाण्डेय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.1.2004 को पूर्वानु 11.00 बने इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। निर्धारित तिथि एवं समय पर श्री सदाशिव पाण्डेय उपस्थित हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर की तरफ से श्री कल्याण शंकर मिश्र, लिपिक अभिलेखी सहित उपस्थित हुए। श्री पाण्डेय द्वारा द.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमवली 1981 (द.प्र. अधिनियम संख्या 34, 1972) के नियम 22 का उद्धरण देते हुए अपनी ज्येष्ठता नियुक्ति तिथि से निर्धारित करने की मांग की गई, जब कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर की तरफ से यह

मद प्रस्तुत किया गया कि चरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की शिथि होनी चाहिए। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक : 15.12.2004 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक : सि.स./5628- 32/2004-05 दिनांक : 16.2.2005 द्वारा श्री मधुसूदन पाण्डेय के प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए निम्न बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर द्वारा तैयार की गई चरिष्ठता सूची को ही मान्य किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1910(एकस्त)/2005 दायित की गई, जिस पर मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक : 11.3.2005 द्वारा अधोस्तुताधारी को निर्देश देने की शिथि से एक माह के अन्दर सुसंगत सेवा नियमावली के आलोक में पुनर्विचार करते हुए प्रकरण को निस्तारित करने का निर्देश दिया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक: सामान्य/ 25-26/2004-05 दिनांक 04-04-2005 द्वारा श्री पाण्डेय को दिनांक 8.4.05 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार वे निर्धारित शिथि को उपस्थित हुये और अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण में उन्हें न तो कुछ कहना है और न कोई अभिलेख प्रस्तुत करना है। प्रकरण के निस्तारण हेतु घन्टुस्थिति से अवगत कराते हुये इस कार्यालय के अधीन पत्रांक: 01 दिनांक: 8.4.2005 द्वारा सचिव, अधीन बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया गया।

विश्लेषण

मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अपने निर्देश दिनांक 11.3.2005 में इस कार्यालय के पत्रांक : सि.स./5628- 32/2004-05 दिनांक : 16.2.2005 द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में निम्न शिथि की गयी है-

"Prima facie, the order passed by the Assistant Director (Basic Education) IK Division, Faizabad dated 16.2.2005 is illegal and against the relevant service rules. The seniority is to be reckoned from the date of order of appointment not from the date of joining. A person living in remote area may get communication of his appointment order on a later date and can join the later date then the person who is living closer to the office of the employer or living in the same city where from appointment orders were issued."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये ऊपर निर्णय के आलोक में इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया। अधीन बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 22 में चरिष्ठता के संबंध में व्यवस्था की गई है - किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की चरिष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से निर्धारित की जायेगी, परन्तु यदि या अधिक व्यक्ति एक दिनांक को नियुक्त किये जाय तो उनकी चरिष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम यथा

नियत नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आने हो। बेसिक शिक्षा अधिनियम की ऊपर सूचीगत धारा के अनुपालन में प्रायः मूल चयन सूची को अनुपालन के विधि में व्यावहारिक कठिनाई आती है। यही कारण है कि सौजन्य देने की विधि को ही आधार बनाकर पदोन्नति को प्रक्रिया पूरी की जाती है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये ऊपर निर्णय एवं उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा विनियम 1981 के नियम 22 के आलोक में यह स्पष्ट है कि पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता निर्धारण का आधार निम्नलिखित विधि को ही माना जाय। श्री सदा शिव पाण्डेय के प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से उनकी निम्नलिखित विधि को ही आधार मानकर वरिष्ठता सूची बनाया जाय। तदनुसार ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरी वरिष्ठता सूची का निर्धारण करें।

निर्णय

मा० उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक : 11.3.2005 एवं उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा विनियम 1981 के नियम 22 में निर्दिष्ट प्राविधानों के आलोक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुलतानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में निम्नलिखित विधि को आधार मानते हुए एक पक्ष के अन्दर वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करावे एवं तदनुसार पदोन्नति को कार्यवाही सम्पादित करावे। मा० उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में प्रसंगगत प्रकरण एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

ह—
(प्रदीप कुमार)

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)

फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

पत्रांक : सि.स./137-41 /2005-06

दिनांक : 15/4/05

प्रतिविधि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खन्डपीठ सखनका।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ.प्र. निवातमन, सखनका।
3. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुलतानपुर।
5. श्री सदा शिव पाण्डेय, स.अ., प्राथमिक विद्यालय पाण्डेयपुर, विकास खण्ड बन्दीराम, जनपद मुलतानपुर।

ह—
(प्रदीप कुमार)

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)

फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।

ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त

1. मौलिक नियुक्ति, चाहे स्थायी पद पर हो अथवा अस्थायी पद पर की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित होगी। (जी.सी. गुप्ता बनाम एन.के. पांडे, 1988 (7) एस.एल.आर. 706; केशव चन्द्र जोशी बनाम भारत संघ, 1992 (8) एस.एल.आर. 636)
2. नियमानुसार की गई नियुक्ति अर्थात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता, नियमानुसार नियमित चयन के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी। (गुजरात राज्य बनाम सी.जी. रैयानी, 1995 (4) एस.एल.आर. 636; श्रीमती अनुराधा मुखर्जी बनाम भारत संघ, 1996 (2) एस.एल.आर. 625)
3. जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त किया जाए तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं। (जी. गंगारसनिया बनाम ए. नरायनस्वामी, 1995 (7) एस.एल.आर. 523; डाइरेक्ट रिक्रूट क्लास-2 इंजीनियरिंग आफिसर्स एसोशिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एस.सी.सी. 715)
4. ज्येष्ठता का आगणन, नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा, पदग्रहण करने की तिथि से नहीं। (भयराम शर्मा बनाम हरियाणा राज्य विद्युत परिषद, 1993 (5) एस.एल.आर. 282)
5. ज्येष्ठता निर्धारण के लिए स्थानापन्न अवधि को आगणित नहीं किया जाएगा। (डाइरेक्ट रिक्रूट क्लास-2 इंजीनियरिंग आफिसर्स एसोशिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एस.सी.सी. 715)
6. जब कई चयन हुए हों तब उसके फलस्वरूप नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता चयन की तिथि से नियत की जाएगी। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त किए गए हों वे पश्चातवर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे। (राजस्थान राज्य बनाम फतेह चन्द सोनी, 1996 (1) एस.एल.आर. 1)
7. एक व्यक्ति का चयन, सीधी भर्ती द्वारा सन् 1977 में हो गया था लेकिन उसे, उसकी किसी गलती के बिना, सन् 1981 में नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा किया कि वह सन् 1977 की चयन सूची के अनुसार ज्येष्ठता पाएगा। (पिल्ला सीताराम पट्टु बनाम भारत संघ, 1996 (2) एस.एल.आर. 892)
8. पूर्ववर्ती चयन में असफल अभ्यर्थियों को, पश्चातवर्ती चयन में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरान्त, नियुक्त कर दिए जाने पर, पश्चातवर्ती चयन वाले अभ्यर्थियों के ऊपर ज्येष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। (उ. प्र. राज्य बनाम रफीकुल्लिन, 1988 (1) एस.एल.आर. 491)
9. नियमों में नियम प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरान्त तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ सेवक की सेवा अवधि की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं किया जाएगा। (चीफ ऑफ नैवल स्टाफ बनाम जी. गोपाल कृष्ण पिल्लई, 1996 (1) एस.एल.आर. 631)

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक
विद्यालय के अध्यापकों
की पदोन्नति व वरिष्ठता
निर्धारण के सम्बन्ध
में आदेश

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के प्रोन्नति के सम्बन्ध में

प्रेषक,
सचिव,
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- बे०शि०प०/ 2186-273/2008-09

दिनांक 2-6-2008

विषय- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के प्रोन्नति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के प्रोन्नति के सन्दर्भ में विभिन्न जिज्ञासायें की जा रही हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का एक ही संवर्ग होने के कारण उनकी वरिष्ठता सूची शासनादेश संख्या 853/79-5-2005-332/04 दिनांक 28.03.2005 के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए प्रोन्नति किये जाने के निर्देश हैं। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 84/79-9-2008-400 (125)/07 दिनांक 15 जनवरी 2008 द्वारा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सम्मिलित सूची बनाने के उपरान्त प्रोन्नति करने के आदेश दिये गये हैं। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त शासनादेशों के निर्देशानुसार ही जनपदीय अधिकारी प्रोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राज शंखर सिंह)

संयुक्त सचिव

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद।

उपरोक्त का संलग्नक

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग-5

संख्या: 84/79-5-08-400 (125) /07

लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2008

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या : 67503/2006 उ०प्र० जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार तथा अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

It is there fore, provided that the petitioner may make a representation, ventilating all his grievances before respondent No. 1 within two weeks from today, along with a certified copy of this order. On such representation being made, respondent no. 1 shall consider and decide the same strictly in accordance with law, preferably within four weeks thereafter after affording opportunity to any other person interested in the matter.

Any promotion granted shall be subject to the result of the representation, with the aforesaid direction/observation, the present writ petition is disposed of finally.

जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंत्री श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा दिनांक 30.4.2007 का प्रत्यावेदन भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उन्होंने कतिपय बिन्दुओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। प्रकरण में सारे तथ्यों को स्पष्ट किए जाने के उद्देश्य से सभी संबंधित पक्षों को तत्कालीन सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन के कक्ष में आवश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक 30.4.2007 को बुलाया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- 1- श्री अभिमन्यु प्रसाद तिवारी, उ०प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ
- 2- श्री राम तीर्थ मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उ०प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ
- 3- श्री भक्ताराज राम त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ, गोरखपुर
- 4- श्री सुरेश कुमार शुक्ल, कोषाध्यक्ष, उ०प्र० जू०हा० स्कूल शिक्षक संघ
- 5- श्री राधेश्याम पाण्डेय, महामंत्री, उ०प्र० जू०हा० स्कूल शिक्षक संघ, गोरखपुर
- 6- डा० नीरज मिश्रा देव, सहायक शि०नि० (सा०शि०), शिविर कार्यालय, लखनऊ
- 7- श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर

उक्त के संबंध में सभी संबंधित पक्षों को सुना गया। उ०प्र० जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2007 में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है:-

(1) सन् 1992 तक के प्र०अ० प्रा० वि० पदोन्नति स०अ०पू०मा० विद्यालय के पद पर कर दी गयी थी। वे ही प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पदोन्नति नहीं पाए हुए थे जो अर्ह नहीं थे।

(2) उक्त सहायक अध्यापक पद के लिए अनर्ह प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय को पदोन्नति कर, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है।

(3) शासन के आदेश सं०-853/79-5-2005-332/04 दिनांक 28.3.05 के द्वितीय पैरे 28-6-93 के बाद के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल समकक्ष हैं, अतः इनकी सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनाकर नियमानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति किए जाने हेतु निर्देश है। इसमें भी 28.6.93 के पूर्व के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय का पदोन्नति करने का कहीं निर्देश नहीं है।

(3) शासन के आदेश दिनांक 28.3.05 के उपरान्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने केवल गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि पदोन्नति प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय दिनांक 28.6.93 को भी सम्मिलित किया जाय जो शासन के आदेश की अवहेलना है।

उ०प्र० प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा भी इस विषय में प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.2.04 तथा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के पांचवें संशोधन के प्राविधानों एवं सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन के आदेश दिनांक 28-3-2005 के आधार पर याचिका संख्या 67503/2006 में उठाये गये बिन्दु निराधार होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

उक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि उ०प्र० अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूलों के निम्नलिखित अलग-2 वेतनमानों में सृजित रहे हैं:-

- (क) सहायक अध्यापक-प्राथमिक विद्यालय
- (ख) प्रधानाध्यापक-प्राथमिक विद्यालय
- (ग) सहायक अध्यापक-जूनियर हाई स्कूल
- (घ) प्रधानाध्यापक-जूनियर हाई स्कूल

इन विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय का पद इस समूचे संवर्ग का मूल श्रोत है, जहां से इनकी प्रारंभिक रूप से भर्ती होकर प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल तक पदोन्नति के अवसर का लाभ उठाते हुए पदोन्नति पाते हैं। वर्ष 1986 में जब राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ इन शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण हुआ उस समय वेतन आयोग द्वारा इनके वेतन के तीन स्तर निर्धारित कर दिये गये जो निम्नलिखित है:-

(घ) सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय का वेतनक्रम

(छ) प्रधानाध्यापक-प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक-जूनियर हाई स्कूल वेतनक्रम

(ज) प्रधानाध्यापक-जूनियर हाई स्कूल का वेतनक्रम

इस प्रकार वर्ष 1986 में प्रधानाध्यापक-प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक-जूनियर हाई स्कूल का समान वेतनक्रम हो गया। ऐसी स्थिति में कई प्रकार की विसंगतिया उत्पन्न की गई एवं पदोन्नति आदि मामलों में कठिनाई उत्पन्न हो गई, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा उ०प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (पांचवां) संशोधन नियमावली वर्ष 1993 में जारी हो गई, जिसमें जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु यह व्यवस्था की गई कि प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी एवं इस सम्मिलित ज्येष्ठता सूची से पदोन्नतियां प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल के पद पर की जायेंगी। राज्य सरकार द्वारा निर्गत इस संशोधन नियमावली के विरुद्ध जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या : 1814 (एस०एस०)/1993 दायर की गई एवं नियमावली के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जिस पर अंतिम निर्णय मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2004 को पारित किया गया। राज्य सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासनदेश संख्या : 853/79-5-2005-332/04 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा इन शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किये हैं :-

(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981, (पांचवां)/संशोधन अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षक स्वतः ज्येष्ठ हैं, अस्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे। इस प्रकार 28.6.1993 के पूर्व पदोन्नति प्राप्त सहायक अध्यापक, जू०हा० वरिष्ठतम होंगे, उसके बाद प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय वरिष्ठताक्रम में रखे जायेंगे।

(2) दिनांक 28.6.1993 के बाद के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल समकक्ष हैं, अतः इनकी सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनाकर नियमानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(3) उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति करते समय मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में याची का प्रत्यावेदन निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

भवदीय

(राज प्रताप सिंह)

सचिव।